

बिहार गज़ट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं0 पटना 32)

3 माघ 1933 (शO) पटना, सोमवार, 23 जनवरी 2012

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

23 जनवरी 2012

सं० एल0जी0-1-30/2011/लेज-259—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्निलिखित अधिनियम, जिसपर महामिहम राज्यपाल दिनांक 20 जनवरी 2012 को अनुमित दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 2, 2012]

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) में संशोधन के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित

- हो:-
- 1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** (–(1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह तुरत प्रवृत्त होगा ।
- 2. **धारा—2 का संशोधन |** उक्त अधिनियम की धारा—2 में उप—धारा—(110) के बाद निम्नलिखित नई उप—धारा (111) जोड़ी जायेगी, यथा—
 - "(111)" उपभोक्ता प्रभार" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा—128 के अधीन नगरपालिका द्वारा उद्गृहीत प्रभार। उपभोक्ता प्रभार एवं सेवा प्रभार शब्दों का उपयोग अधिनियम एवं उसके अधीन बने नियमों तथा विनियमों में अंतर्परिवर्तनीय रूप में किया जायेगा और उनका अर्थ एक ही होगा।"
- 3. धारा—36 का संशोधन।— (1) उक्त अधिनियम की धारा—36 की उप—धारा (1) के खंड (क) के उप—खंड (i) में शब्द "बिहार प्रशासनिक सेवा" के बाद शब्द "गैर—सरकारी अधिकारी, प्रबंधक, प्रशासक या अभियंता जिन्हे शहरी कार्यक्षेत्र प्रबंधन में अनुभव / विशेषज्ञता प्राप्त हो" जोड़े जायंगे।
 - (2) उक्त अधिनियम की धारा—36 की उप—धारा (1) के खंड (क) के उप—खंड (ii) में शब्द "या बिहार लेखा सेवा के सदस्य" के बाद शब्द "या चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट अधिनियम, 1949 के अधीन चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट या लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के अधीन लागत और प्रबंधन लेखापाल" जोड़े जायेंगे।
 - (3) उक्त अधिनियम की धारा—36 की उप—धारा (1) के खण्ड (ख) के उप—खंड (vi) के बाद निम्नांकित परन्तुक द्वितीय परन्तुक के बाद जोड़ा जायेगा:— "परन्तु और कि सरकार नगर परिषद/नगर पंचायत में भी नगर कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर गैर—सरकारी व्यक्ति को जिन्हें शहरी कार्यक्षेत्र/प्रबंधन में अनुभव/और प्रशासन में अर्हता प्राप्त प्रबंधक/प्रशासक/अभियंता हो सकते हैं, को नियुक्त कर सकेगी।
 - (4) उक्त अधिनियम की धारा—36 की उप—धारा (1) खण्ड (ख) के उप—खंड (vi) के बाद निम्नांकित परन्तुक तीसरे परन्तुक के बाद जोड़ा जायेगाः—
 " परन्तु और भी कि राज्य सरकार नगर निकायों को, आदेश देकर, पदों की संख्या घटा, बढ़ा, पदों की संरचना में परिवर्त्तन, पद या पदों के समापन, नये संवर्गों के सृजन एवं समापन, नये संवर्गों की स्थापना या पुनर्गठन कर सकेगी या इससे संबंधित अन्य निदेश दे सकेगी जो शहरी स्थानीय निकायों पर बाध्यकारी होगा।
- 4. धारा—69 का संशोधन |— उक्त अधिनियम की धारा—69 (2) के खंड (ख) के उप—खंड (i) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:—
 - ''(i) सम्बन्धित नगरपालिका पर क्षेत्रीय अधिकारिता क्षेत्र रखने वाले प्रमंडलीय आयुक्त, समिति के अध्यक्ष होगें।''
- 5. धारा—71 का संशोधन |— उक्त अधिनियम की धारा—71 में शब्द ''अन्य उपायों का निर्धारण करेगी'' के बाद शब्द ''और निर्धारण के तीन माह के भीतर नगरपालिका को संसूचित करेगी'' जोड़े जाएंगे।
- 6. धारा—127 का संशोधन |— (1) धारा—127 की उप—धारा (1) के खंड (ठ), उप—खंड (ii) में शब्द किसी 'सार्वजनिक सड़क पर चलाया जाने वाला'' के बाद शब्द 'अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाई जानेवाली नियमावली के अधीन यथा उपबंधित'' जोडे जाएंगे।
- (2) धृति जिस सड़क पर अवस्थित हो उसका प्रकार अवधारित करने से संबंधित बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा—127 की उप—धारा (4), खंड (ii) को (ii) नहीं बल्कि उप—धारा '(2)'' पढ़ा जायेगा।
 - (3) उक्त अधिनियम, के अंग्रेजी पाठ में धारा 127 की उपधारा (7) के खंड (ii) में शब्द "Commuted" शब्द "Calculated" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
 - (4) उक्त अधिनियम, की धारा—127 की उप—धारा (10), उप—धारा (12) के रूप में पुनर्संख्यांकित की जायेगी और नई उप—धाराएँ (10) और (11) निम्नवत जोडी जायेंगी, यथा:—
 - "(10) किराए पर दी गई संपत्तियों और इस अधिनियम की धारा—127 की उप—धारा (4) के खंड (1) के उप—खंड (घ) और (ङ) में उल्लिखित धृतियों में गैर आवासीय धृतियों के कतिपय कोटियों के लिए राज्य सरकार वार्षिक भाटक मुल्य की गणना हेत् विशेष पद्धति उपबंधित कर सकेगी।"
 - "(11) (i) धृतियों / भवनों के उन भागों का, जो आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रकृति के स्थान, केन्द्र एवं संस्था हैं, किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप, कार्यालय भवन, रेस्तराँ, दुकान या आवासीय सुविधा के लिए चाहे

निशुल्क या शुल्क सिहत या दान के रूप में प्रभार लेकर उपयोग किया जाता है, जिस कोटि के हों, उस कोटि के अनुसार सम्पत्ति कर प्रभारित किया जायगा।

- (ii) मिलन बस्तियों में अवस्थित 250 वर्गफीट से कम के कुर्सी क्षेत्र वाली झोपड़ियाँ या आवासीय घर संपत्ति कर के भुगतान से मुक्त होंगे।"
- (5) बिहार नगरपालिका अधिनियम, की धारा—127 में निम्नलिखित एक नई उप—धारा (13) जोड़ी जाएगी, यथा:-
 - ''(13) (i) नगरपालिका हर पांच वर्ष में एक बार धारा—7 (i) के अधीन धृतियों के भाटक मूल्य का उर्ध्वगामी पुनरीक्षण करेगी तथा सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से धृतियों के सभी स्वामियों और निर्धारितियों को ऐसे पुनरीक्षण के कारण निर्धारण की पद्वति में परिवर्तन से अवगत कराएगी।
 - (ii) नगरपालिका हर पांच वर्ष में एक बार उन सड़कों का पुनर्वर्गीकरण भी करेगी जिन पर धृतियाँ अवस्थित हों और धृति का भाटक मूल्य अवधारित करने में उसका ध्यान रखेगी।"
 - (6) बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अंग्रेजी पाठ की उप—धारा (7) (ii) में शब्द'' sub-rule (1) को Clause (i) द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- 7. एक नयी धारा—128 क का जोड़ा जाना।—"128 क. नगर सेवा प्रभार सलाहकार बोर्ड की स्थापना।— (1) नगरपालिका द्वारा उपयोगकर्त्ता प्रभारों के उद्ग्रहण पर सलाह देने के लिए राज्य सरकार नगर सेवा प्रभार सलाहकार बोर्ड स्थापित कर सकेगी।
 - (2) बोर्ड की संरचना, अध्यक्ष तथा सदस्यों की अर्हता और बोर्ड द्वारा संपादित किए जाने वाले कृत्यों का अवधारण राज्य सरकार द्वारा आदेशों के अधीन किया जाएगा।
 - (3) ऐसी कोई सम्पत्ति जिसमें वर्षा जल संरक्षण (Rain Water Harvesting) तकनीक और संरचना अपनायी गयी हो, उसे राज्य सरकार के आदेश द्वारा विहित रीति से कुल सम्पत्ति कर में अवधारित प्रतिशत तक राहत दी जा सकेगी।"
- 8. **धारा—138 का संशोधन।**—उक्त अधिनियम, की धारा—138 की उप—धारा (2) के बाद निम्नलिखित एक नयी उप—धारा—(3) जोडी जाएगी, यथा:—
 - "(3) यदि दो या दो से अधिक वैसी धृतियों के मालिक, जो एक—दूसरे से लगी हुई हों, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के समक्ष, स्वयं या किसी प्रवर्तक / विकासकर्ता के माध्यम से, अपनी धृतियों को आमेलित कर अपार्टमेंट बनाना चाहते हों, तो वह पदाधिकारी सम्यक जांचोपरान्त अनुमित दे सकेगा और जिन व्यक्तियों की धृतियाँ आमेलित की गयी हों, वह संयुक्त रूप से भू—स्वामी समझे जायेंगे ;

परन्तु आमेलन की अनुमित मिल जाने तथा प्रवर्तक / विकासकर्ता एवं भू—स्वामियों में अपार्टमेंट निर्माण से संबंधित समझौता हो जाने के पश्चात् किसी भी दशा में धृतियों को फिर से अलग—अलग करने की अनुमित नहीं दी जायेंगी।"

- 9. **धारा—155 का संशोधन |** (1) उक्त अधिनियम, 2007 के अध्याय **xix** के शीर्षक ''करों'' के बाद शब्द ''और सेवा / उपभोक्ता शुल्क'' जोड़े जायंगे।
 - (2) अध्याय xix में उप शीर्षक ''क'' शब्द ''नगरपालिका द्वारा करों'' के बाद'' शब्द ''और सेवा / उपभोक्ता शुल्क'' जोड़े जायंगे।
 - (3) उक्त अधिनियम, की धारा—155 में शब्द ''करों'' के बाद शब्द ''और सेवा / उपभोक्ता शुल्क'' जोड़े जायंगे।
 - (4) धारा–155 में शब्द "किसी कर" के बाद शब्द "और सेवा / उपभोक्ता शुल्क" जोड़े जायंगे।
 - (5) उक्त अधिनियम, की धारा—155 के अंग्रेजी पाठ के खंड (c) में शब्द "distrait" शब्द "seizure" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (6) धारा–155 में खंड (छ) के बाद निम्नलिखित नया खंड (ज) जोड़ा जाएगा, यथा:–
 - " (ज) धृति के स्वामी या निर्धारिती को दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा संपत्ति कर का स्व—निर्धारण कर उसे नियमों एवं विनियमों में विहित तिथि एवं रीति से भुगतान करने का निदेश देकर";
 - (7) धारा–155 के खंड (ख) में शब्द ''मांग–पत्र तामील कर'' के बाद शब्द
 - "30 जून तक देय कर का भुगतान करने में धृति के स्वामी या निर्धारिती के विफल रहने पर" जोड़े जायंगे।
 - (8) धारा–155 के खंड (ख) के बाद निम्नलिखित नया खंड (ख ख) जोडा जायेगा, यथा:–
 - " (ख ख) व्यतिक्रमी को सात दिनों की नोटिस देने के बाद नगरपालिका सेवाएँ, यथा जलापूर्ति, मलवहन तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रोककर, या
- 10. **धारा—156 का संशोधन।** (1) उक्त अधिनियम की धारा—156 के उप—शीर्षक में शब्द ''करों'' के बाद शब्द ''और गैर कर राजस्व'' जोड़े जायंगे।
 - (2) धारा—156 की उप—धारा (1) में शब्द "कोई कर" के बाद शब्द "और "उपयोगकर्त्ता प्रभार" जोड़े जायेंगे।

- (3) धारा–156 की उप–धारा (2) में शब्द ''किसी बकाये रकम'' के पहले शब्द ''कर के'' जोड़े जायेंगे।
- (4) बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा—156 की उप—धारा (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किये जायेंगे :—
- "(2) तिथि, जिस तिथि को कर एवं उपयोगकर्त्ता प्रभार देय हो के भुगतान की तिथि और रीति, जब और जिस रीति से उनका भुगतान किया जायगा तथा उनपर छूट एवं शास्ति की राशि नियमावली के अधीन विहित की जायगी।"
- 11. **धारा—157 का संशोधन।**—(i) उक्त अधिनियम, की धारा—157 की उप—धारा (1) में निम्नलिखित नया खंड (घ) जोड़ा जायेगा—
 - ''(घ) स्वनिर्धारण के आधार पर भूगतान किया गया कर''
 - (ii) उक्त अधिनियम, की धारा—157 में शब्द ''जब कोई कर'' के बाद शब्द ''और सेवा / उपभोक्ता शुल्क'' जोड़े जायंगे।
 - (iii) बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा—157 के परन्तुक में शब्द ''कर की वसूली'' के बाद शब्द ''और सेवा / उपभोक्ता शुल्क'' जोड़े जायंगे।
- 12. **धारा–158 का संशोधन** |- (1) उक्त अधिनियम, की धारा 158 में शब्द "कर के भुगतान और वसूली से संबंधित विनियमों" के बाद शब्द "और सेवा/उपयोगकर्त्ता प्रभार" जोड़े जायंगे।
 - (2) धारा–158 में शब्द "अपने बकाये कर के भुगतान एवं वसूली सुनिश्चित करने के लिए" के बाद शब्द "और सेवा / उपयोगकर्त्ता प्रभार" जोड़े जायंगे।
 - (3) उक्त अधिनियम, की धारा—158 के खंड (ख) में शब्द ''बकाये कर'' के बाद शब्द ''और सेवा / उपयोगकर्त्ता प्रभार'' जोड़े जायंगे।
 - (4) उक्त अधिनियम की धारा—158 के खंड (ग) में शब्द ''बकाये कर की वसूली'' के बाद शब्द ''और सेवा / उपयोगकर्त्ता प्रभार'' जोडे जायंगे।
 - (5) उक्त अधिनियम, की धारा—158 के खंड (च) में शब्द ''कर की वसूली'' के बाद शब्द ''और सेवा / उपयोगकर्त्ता प्रभार'' जोडे जायंगे।
- 13. एक नई धारा—274 क का जोड़ा जाना।—"274 क— जिला योजना समिति और महानगरीय समिति धारा 274 में यथा उपबंधित विकास योजना तैयार करेगी और उसे अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार उपान्तरण के साथ या उसके बिना योजना को यथाशीघ्र, किन्तु उसके प्रस्तुत किए जाने के 12 माह के बाद योजना का अनुमोदन नहीं करेगी।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से.

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

23 जनवरी 2012

सं० एल0जी0-1-30/2011/260/लेज:—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामिहम राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2012 को अनुमत बिहार नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011 का निम्निलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से.

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

[Bihar Act 2, 2012] The Bihar Municipal (Amendment) Act, 2011

AN

Act

to amend the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11, 2007)

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the sixty-second year of the Republic of India as follows:-

- **1. Short title, extent and commencement.** (1) This Act may be called the Bihar Municipal (Amendment) Act, 2011.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

- (3) It shall come into force at once.
- **2. Amendment of Section 2.-** In Section 2 of the said Act After sub-section (110) the following new sub-section (111) shall be add namely-
 - "(111) "user charges" means charges levied by the municipality under section 128 of the Act. The words 'user charges' 'service charges' shall be used interchangeably in the Act and Rules and Regulations made thereunder and shall mean the same."
- **3.** Amendment of section 36.- (1) In sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1) of section-36 of the said Act the words "or non Government officers, Managers, Administrators or Engineers who have experience/specialization in urban sector management" shall be added after the words "Bihar Administrative Service."
- (2) In sub-clause (ii) of Clause (a) of sub-Section (1) of Section 36 of the said Act, after the words "or a member of Bihar Account Service", the words "or a Chartered Accountant under the Chartered Accountants Act, 1949, or a Cost and Management Accountant under the Cost and Works Accountants Act, 1959." shall be added.
- (3) After sub clause (vi) of clause (b) of sub-section (1) of section 36 the following proviso shall be added after the second proviso:-

"Provided further that the Government may appoint a Non Government person who has experience/specialization in urban sector management and administration who can be a qualified Manager/Administrator/Engineer on the post of Municipal Executive Officer even in Municipal council and Nagar Panchayat.

(4) After sub clause (vi) of clause (b) of sub-section (1) of section-36 the following proviso shall be added after the third proviso,

"Provided also that the Government may by order to the Municipalities subtract, add, change the number and structure of posts, abolish a post or posts, determine and abolish cadres, create new cadres, restructure their administrative structure and establishment or can give any other direction in this regard which shall be binding on the Urban Local Bodies."

- **4. Amendment of section 69.** Sub-clause (i) of section-69 (2) (b) of the said Act shall be substituted by the following:-
 - (i) "The Divisional Commissioner of the Division having territorial jurisdiction over the concerned Municipality, shall be the chairperson of the Committee."
- **5. Amendment of Section 71.** In Section 71 of the said Act, after the words "the State Government shall determine" the words "and communicate to the Municipality within three months of determination". shall be added.
- **6. Amendment of Section 127.** (1) In sub-clause (ii) of Clause (k) of sub-Section 1 of Section 127, after the words "plying on a public street" the words "or as may be provided for under orders by the State Government" shall be added
 - (2) Clause (ii) of sub-Section (4) of Section 127 of the Bihar Municipal Act, 2007 regarding determining the type of a road on which a holding is located, shall be read as sub-Section "(2)", rather than (ii)
 - (3) In Clause (ii) of sub-Section (7) of Section 127 in the English version of the Bihar Municipal Act, 2007, the word "commuted" shall be replaced by the word 'calculated'.
 - (4) Sub-Section (10) of Section 127 of the Bihar Municipal Act, 2007 shall be renumbered as (12) and new sub-Sections (10) and (11) shall be added as under:-
 - " (10) The State Government may provide differential methods for calculation of the annual rental value of tenanted properties and certain categories of non-

residential holdings from among those mentioned in clause (d) and (e) of Sub-section (4)(1) of Section 127 of this Act."

- "(11) (i) Those portions of the holdings/buildings which are places, centres and institutions of spiritual and religious nature—are used for commercial purposes, office buildings, boarding and/or lodging facilities whether free of charge or where fee or donation is charged, shall be charged property tax, as per the category to which they belong.
- (ii) All hutments or dwelling units situated in slums having a total plinth area of less than 250 square feet shall be exempt from payment of Property Tax."
- (5) The following new Sub-Section (13) shall be added in Section 127 of the Bihar Municipal Act, 2007 as under:-
 - "(13)(i) The Municipality shall carry out upward revision of rental value of holdings under section 7(i) once in every five years and through a public notice, inform all owners of holdings and assesses about the change in the method of assessment on account of such revision.
 - (ii) The Municipality shall also reclassify the roads on which holdings are situated once in every five years and take it into consideration for determining the rental value of holdings."
- (6) In English version of Bihar Municipal Act, 2007, in Sub-Section 7(ii) the words "sub rule (1)" shall be replaced by "clause (i)"
- **7.** Addition of a new section 128A.- "128A" Establishment of an Urban Services Charge Advisory Board. (1) The State Government may establish an Urban Services Charges Advisory Board to advise the levying of User Charges by the Municipality.
- (2) Composition of the Board, qualification of Chairpersons and members and functions to be performed by the Board shall be determined by the State Government under orders
- (3) Any property that has adopted the technique and structure of rainwater harvesting may be given relief to a determined percentage from the property tax in the manner prescribed by the State Government by order".
- **8.** Amendment of Section 138.- The Following new Sub-Section (3) shall be added after Sub-Section (2) of Section 138, namely-
 - "(3) If two or more owners of separate but adjoining holdings apply jointly or through a promoter/developer to the Chief Municipal Officer for amalgamation of their holdings for construction of Apartment, such permission, on due enquiry, can be permitted and the persons whose holdings get amalgamated shall be jointly treated as landowners,

Provided once amalgamation is allowed and takes place and agreement with promoter/developer has been signed for construction of an apartment deamalgamation will not be permitted in any case.

9. Amendment of Section 155.- (1) In the caption of Chapter XIX of the Bihar Municipal Act, 2007, after the words "Recovery of Taxes" following words shall be added, namely-

"and user charges"

(2) In sub-title "A. Recovery of Taxes by Municipality" in Chapter XIX after the words "Recovery of Taxes" following shall be added, namely—"and user charges"

- (3) In Section 155, of the Bihar Municipal Act, 2007, after the words "Manner of recovery of taxes" following words shall be added, namely-
 - "and user charges"
- (4) In Section 155, after the words "any tax" following words shall be added namely—

"and user charges"

(5) In Clause (c) of Section 155, of the Bihar Municipal Act, 2007 the word "distrait" shall be replaced

by the word "seizure"

- (6) In Section 155, The following new Clause (h) shall be added, after clause (g) namely-
 - " (h)" by directing the owner of the holding or the assessee through advertisement in two local newspapers to do self assessment of property tax and pay the same by such date and in such manner as prescribed under Rules and Regulations".
- (7) In Clause (b) at section 155 after the words "by serving a notice of demand," The words" on failure of the owner of holding or the assessee to pay the tax due by 30th June of each financial year" shall be added,
 - (8) After Clause (b) of Section 155, The following new Clause (bb) shall be added, namely,
 - "(bb) by discontinuing municipal services such as water supply, sewerage, and solid waste management after giving seven day's Notice to the defaulter"
- **10. Amendment of Section 156.-** (1) In the sub-title of Section-156, the words "and user charges" shall be added after the words 'of taxes'.
 - (2) In Sub-section (1) of Section 156 of the said Act, the words "user charges" shall be added after the words 'any tax'.
 - (3) In sub-section (2) of Section 156 of the Act, after the words "If any amount due" the words "of taxes and user charges" shall be added.
 - (4) Sub-Section (2) of Section-156 of the Act shall be substituted by the following, namely:-
 - "(2). The date on which payment of taxes and user charges are due, the date and manner in which they shall be paid and the amount of rebate or penalty thereon shall be prescribed under Rules."

11. Amendment of Section 157.-

- (i) In sub-Section (1) of Section 157 of the Bihar Municipal Act, 2007, a new clause (d) shall be added as namely,
- "(d). Property Tax to be paid on the basis of self-assessment as per Section 155(A) of the Act."
- (ii) In Section 157 of the Bihar Municipal Act, 2007, after the words "when any tax", new words shall be added, namely-

"and user charges"

- (iii)In proviso of Section 157 of the Bihar Municipal Act, 2007, after the words "of recovery of any tax" the following words shall be added, namely—"and user charges"
- **12. Amendment of Section 158.-** (1) In Section 158 of the said Act, after the words "Regulations regarding payment and recovery of tax" the words "and user charges" shall be added,

- (2) In Section 158, after the words "To ensure payment and recovery of its tax" following words shall be added, namely-"and user charges"
- (3) In Clause (b) of Section 158 of the said Act, after the words "recovery of tax" the words "and user charges" shall be added.
- (4) In Clause (c) of Section 158 at the said Act, after the words "recovery of tax" the words "and user charges" shall be added.
- (5) In Clause (f) of Section 158 of the said Act, after the words "recovery of tax", the words "and user charges" shall be added.
- **13. Addition of a new Section 274A.** "274A The District Planning Committee and the Metropolitan Committee shall prepare development plan as provided for in section 274 and submit the same to the State Government for approval. The State Government shall approve the plan with or without modification as early as possible, but not later than 12 months from the date of submission".

By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 32-571+400-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in